कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 2107 /रामपुर/20803/2016, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल 13 , 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषयः रामपुर–शाहाबाद मार्ग (MDR-53) किमी0 14.531 की दायीं पटरी पर ग्राम–पटवाई, तहसील–शाहाबाद के गाटा सं0–450 में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 बरेली द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.079 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–2693/14–1, दिनांक 31.03.2017

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नही हैं, जो निम्न प्रकार है :–

1– संलग्न गणना का क्षेत्रफल, अनुमोदित ले–आउट प्लान पर अंकित सम्पर्क मार्ग के क्षेत्रफल से भिन्न है। प्रस्तावित वनभूमि की गणना त्रुटिपूर्ण है।

2– प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मैप अनुमोदित ले–आउट प्लान के अनुरूप नहीं है।

3– आफलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–1(अ) एवं पार्ट–2 के बिन्दु–7 पर अंकित सूचना में उल्लिखित है कि प्रस्तावित स्थल का प्रयोग पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना के लिए है। जबकि ऑनलाइन पार्ट–1 में पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग की स्थापना अंकित किया गया है। स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचना को संशोधित करें।

4– आफलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–1(य) पर अंकित सूचना (साथ मिलगा संलग्न है) का क्या आशय है, स्पष्ट करें।

5– ऑनलाइलन पार्ट–2 के बिन्दु–16 में प्रभागीय निदेशक द्वारा अंकित संस्तुति के कारण में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपलोड किये गये जस्टीफिकेशन पर सहमति दी गयी है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अपनी सुस्पष्ट आख्या लिखनी चाहिए।

6– आफलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–2(1) की सूचना अंकित नहीं है।

7– उपरोक्त सूचनाओं को पूर्ण कर प्रस्ताव पर पृष्ठ संख्या एवं विषय–सूची को भी अपडेट करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सूचनाओं एवं अभिलेखों को पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियॉ किसी कार्यालय दिवस में इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अपूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को कदापि न प्रेषित करें।

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2107 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि वरिष्ठ मण्डल रिटेल सेल्स प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0, बरेली मंडल कार्यालय, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार आवश्यक अभिलेख प्रभागीय निदेशक, रामपुर को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।